न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–9 / 2022

उनवान

1. हनुमान पुत्र सुजा उर्फ सूरजमल जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. रंगलाल पुत्र सुजा उर्फ सूरजमल (मृतक)
    1. गलकू पत्नी रंगलाल
    2. सोनू पुत्र रंगलाल
    3. सोनिया पुत्री रंगलाल नाबालिग पुत्री
    4. देविका पुत्री रंगलाल नाबालिग पुत्री
    5. सतपाल पुत्र रंगलाल नाबालिग पुत्र
    6. अविनाश पुत्र रंगलाल जाति भांबी निवासी नान्दला
2. हरि पुत्र सुजा उर्फ सूरजमल जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– श्री गोरधन लाल गुर्जर

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 92अ राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.3.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 1177 / 1000 खसरा नम्बर 1862 रकबा 1.98 ग्राम नान्दला में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहकाश्तकारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने से वारिसान को रेकॉर्ड पर लि[illegible] तथा प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थि[illegible] से बंटवारा बाबत पेश किया। राज0 पेरोकार ने जवाब पेश नहीं कर जाहिर [illegible] स्वयं सि[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में वाद के समर्थन में वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2070–73, नक्शा दस्तावेज प्रस्तुत किये।

वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा ग्राम नान्दला के खाता संख्या 1177/1000 खसरा नम्बर 1862 रकबा 1.98 हैक्टर की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है जिसमें अविनाश पुत्र रंगलाल, गलकु पत्नी रंगलाल, नाबालिग देविका पुत्री रंगलाल, नाबालिग सतपाल पुत्र रंगलाल, सोनू पुत्र रंगलाल, नाबालिग सोनिया पुत्री रंगलाल, हनुमान पुत्र सुजा उर्फ सूरजमल, हरि पुत्र सुजाउर्फ सूरजमल के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे में निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है तथा आपसी सहमति से राजीनामा कर बंटवारा करने का निश्चय किया है। जिसमें खसरा नम्बर 1862 रकबा 0.66 पर हनुमान पुत्र सूजा उर्फ सूरजकरण जाति भांबी निवासी नान्दला को, खसरा नम्बर 1862/1 रकबा 0.66 पर हरि पुत्र सूजा उर्फ सूरजकरण जाति भांबी निवासी नान्दला को, खसरा नम्बर 1862/1 रकबा 0.66 पर मृतक रंगलाल के वारिसान गलकू पत्नी रंगलाल, सोनू पुत्र रंगलाल, अविनाश पुत्र रंगलाल, सतपाल नाबालिग पुत्र रंगलाल, देविका नाबालिग पुत्री रंगलाल, सोनिया नाबालिग पुत्री रंगलाल जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला को खातेदार घोषित किया जावे। आराजी मुतनजा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर ही किया गया है जिसका मानचित्र राजीनामा के साथ पेश किया गया है।

अतः ग्राम नान्दला के खाता संख्या 1177/1000 खसरा नम्बर 1862 रकबा 1.98 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर खसरा नम्बर 1862 रकबा 0.66 पर हनुमान पुत्र सूजा उर्फ सूरजकरण जाति भांबी निवासी नान्दला को, खसरा नम्बर 1862/1 रकबा 0.66 पर हरि पुत्र सूजा उर्फ सूरजकरण जाति भांबी निवासी नान्दला को, खसरा नम्बर 1862/2 रकबा 0.66 पर मृतक रंगलाल के वारिसान गलकू पत्नी रंगलाल, सोनू पुत्र रंगलाल, अविनाश पुत्र रंगलाल, सतपाल नाबालिग पुत्र रंगलाल, देविका नाबालिग पुत्री रंगलाल, सोनिया नाबालिग पुत्री रंगलाल जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजीनामा के साथ संलग्न मानचित्र अनुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/3/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

हनुमान बनाम रंगलाल

दावा बाबत :— 53, 92अ रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —9/2022
पेश करने की दिनांक — 12.1.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक नितेश यादव मुददई गोरधनलाल गुर्जर मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम नान्दला के खाता संख्या 1177/1000 खसरा नम्बर 1862 रकबा 1.98 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर खसरा नम्बर 1862 रकबा 0.66 पर हनुमान पुत्र सूजा उर्फ सूरजकरण जाति भांबी निवासी नान्दला को, खसरा नम्बर 1862/1 रकबा 0.66 पर हरि पुत्र सूजा उर्फ सूरजकरण जाति भांबी निवासी नान्दला को, खसरा नम्बर 1862/2 रकबा 0.66 पर मृतक रंगलाल के वारिसान गलकू पत्नी रंगलाल, सोनू पुत्र रंगलाल, अविनाश पुत्र रंगलाल, सतपाल नाबालिग पुत्र रंगलाल, देविका नाबालिग पुत्री रंगलाल, सोनिया नाबालिग पुत्री रंगलाल जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजीनामा के साथ संलग्न मानचित्र अनुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 03 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद